रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2008/भाद्र 4, 1930
No. 460] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2008/BHADRA 4, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक घर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक घर बचत खाता (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **विद्यमान नियम 4 के पश्चात् नए नियम 4क का अंत:स्थापन.**—डाक घर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**4क राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन कर्मकारों की बाबत बचत खातों के प्रकार और उनसे संबंधित विषय.**—नियम 4 और नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.ग्रा.रो.गा.अ. कहा गया है) के अधीन मजदूरी के संदाय को सुकर बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन नियोजित कर्मकार जो खाते खोल सकेंगे और उन्हें चला सकेंगे, उनके प्रकार, ऐसे खाते खोलने के लिए अपेक्षित जमा आदि तथा उनसे संबंधित अन्य विषय नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

सारणी

खाते का प्रकार	कौन खाता खोल सकेगा/चला सकेगा	खाता खोलने के लिए अपेक्षित जमा	उन खातों की संख्या जो खोले जा सकते हैं	जमा का प्रकार जो खाते में किया जा सकेगा	खाते से निकालने का ढंग	खाते में रखा जाने वाला न्यूनतम अतिशेष	खाते की अंतरणीयता और उसका बंद किया जाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रा.ग्रा.रो.गा.अ. के अधीन कर्मकार मजदूरी खाता							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. एकल खाता	किसी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्य को कार्य कार्ड का जारी किया जाना जिसका नाम कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)/ अपर कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) रा.ग्रा.रो.गा.अ. द्वारा तैयार की गई रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों की सूची में दिया गया है ।	कुछ नहीं	एक	रा.ग्रा.रो.गा.अ. के अधीन मजदूरी	'प्रत्याहरण पर्ची' और 'मजदूरी पर्ची' के प्रस्तुत किए जाने पर	कुछ नहीं	खाता एक डाकघर बचत बैंक से किसी अन्य में अंतरित नहीं किया जाएगा । खाता रजिस्ट्रीकृत कर्मकार के उसकी मृत्यु या स्थायी निवास में परिवर्तन के कारण या कार्य कार्ड की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के कारण कार्य कार्ड या सूची से सदस्य के नाम के लोप पर बंद हो जाना'' ।
2. संयुक्त खाता	ऐसे प्रत्येक कार्य कार्ड के लिए जिसमें विभिन्न गृहस्थी सदस्य (अर्थात् पति और पत्नी) सह-हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए ।	कुछ नहीं	एक	रा.ग.रो.गा.अ. के अधीन उपार्जित मजदूरी	'प्रत्याहरण पर्ची' और 'मजदूरी पर्ची' के प्रस्तुत किए जाने पर	कुछ नहीं	

[फा. सं. 2/6/2006-एनएस-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण : डाकघर बचत खाता नियम, 1981 सा.का.नि. 663(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें इनके द्वारा संशोधन किया गया अर्थात् :- (1) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 2 जनवरी, 1987, (2) सा.का.नि. 948(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1987, (3) सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 1989, (4) सा.का.नि. 430(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1989, (5) सा.का.नि. 695(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989, (6) सा.का.नि. 813(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1989, (7) सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1989, (8) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 8 जुलाई, 1993, (9) सा.का.नि. 165(अ), तारीख 28 फरवरी, 2000, (10) सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 2002, (11) सा.का.नि. 431(अ), तारीख 14 जून, 2002, (12) सा.का.नि. 587(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, (13) सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 13 मई, 2005, (14) सा.का.नि. 509(अ), तारीख 27 जुलाई, 2005, (15) सा.का.नि. 481(अ), तारीख 11 जुलाई, 2007 और (16) सा.का.नि. 478(अ), तारीख 26 जून, 2008 ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2008

G.S.R. 611(E).—In excercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of new Rule 4A after existing rule 4.**— In the Post Office Savings Accounts Rules, 1981, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"**4A. Types of Savings Accounts in respect of workers under NREG Act and matters connected therewith.**— Notwithstanding anything contained in rules 4 and 5, and with objective of facilitating the payment of wages under the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (hereinafter referred to as the NREG Act), the workers employed under the NREG Act may open and operate the types of accounts, deposit required for opening of such account, etc. and other matters connected therewith shall be specified in the Table below, namely:—

TABLE

Type of Account	Who may open/ operate the account	Deposit required for opening of account	Number of accounts that can be opened	Type of Deposits that can be made into the account	Mode of withdrawal from the account	Minimum balance to be maintained in the account	Transferability and Closure of Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Workers Wage Account under the NREG Act							
1. Single Account	Registered adult member of a household issued a Job Card whose name is provided in the list of registered workers prepared by the Programme Officer (PO)/Additional Programme Officer (APO) NREGA.	Nil	One	Wages under NREG Act	On Production of 'Withdrawal Slip' and 'Wage Slip'	Nil	Account will not be transferred from one Past Office Saving Bank to another. Account would be closed on deletion of member's name from the Job Card/ List of registered workers due to demise or change of permanent residence or on expiry of validity of Job Card".
2. Joint Account	For each Job Card wherein different household members (e.g. husband and wife) should be co-signatories.	Nil	One	Wages earned under NREGA	On Production of 'Withdrawal Slip' and 'Wage Slip'	Nill	

[F. No. 2/6/2006-NS-II]

M.A. KHAN, Under Secy.

Note: The Post Office Savings Account Rules, 1981 were published *vide* G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended *vide*:- (1) G.S.R. 8(E), dated the 2nd January, 1987, (2) G.S.R. 948 (E), dated the 2nd December, 1987, (3) G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 1989, (4) G.S.R. 430(E), dated the 6th April, 1989, (5) G.S.R. 695(E), dated the 17th July, 1989, (6) G.S.R. 813(E), dated the 4th September, 1989, (7) G.S.R. 1001(E), dated the 8th November, 1989, (8) G.S.R. 499 (E), dated the 8th July, 1993, (9) G.S.R. 165(E), dated the 28th February, 2000, (10) G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2002 (11) G.S.R. 431 (E), dated 14th June, 2002, (12) G.S.R. 587 (E), dated 25th July, 2003, (13) G.S.R. 286 (E) dated the 13th May, 2005, (14) G.S.R. 509 (E) dated the 27th July, 2005, (15) G.S.R. 481(E) dated the 11th July, 2007 and (16) G.S.R. 478 (E) dated 26th June, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.